कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 119

दिनांक : 25-4-19

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– जनदप बांरन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए. / उवस / 17–18 9442–44 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष मे प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,82,284 /– (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100 /– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736 /– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये– 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960 /– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।

शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सख्या 7 के तहत स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा बीच में यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त सख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।

(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	2338696/-

Amount in Words :Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	2338696/-

Amount in Words :Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment done by
T.V.NO. 3750
23/4/19

उपकोषाधिकारी
शाहाबाद (जिला–बारां)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	2338696/-

Amount in Words :Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	2338696/-

Amount in Words :Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

T.V.NO. 3750
23/4/19

उपकोषाधिकारी
शाहाबाद (जिला–बारां)

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ 7 2० – 26 दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

– आदेश :–

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र कमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/5614–20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र कमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14–15/16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528–29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.–3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (है0)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			138	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 है0	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ 7 2० – 26 दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बारां

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
	Old Cases					
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
	New Cases					
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलावडा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी. 573/0 से पुआ	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा	4.00	
12	Shahbad	~~Kishanganj~~ SBD	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से बमनगवा	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(सुनिल मथुर)
अतिरिक्त अभियंता
सा0नि0वि0 वृत बारां

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,138,149 (Village: BILANDI) KHASRA NO.:1173,1175 (Village: SORSON) KHASRA NO.: 368 (Village: THAKA)

Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

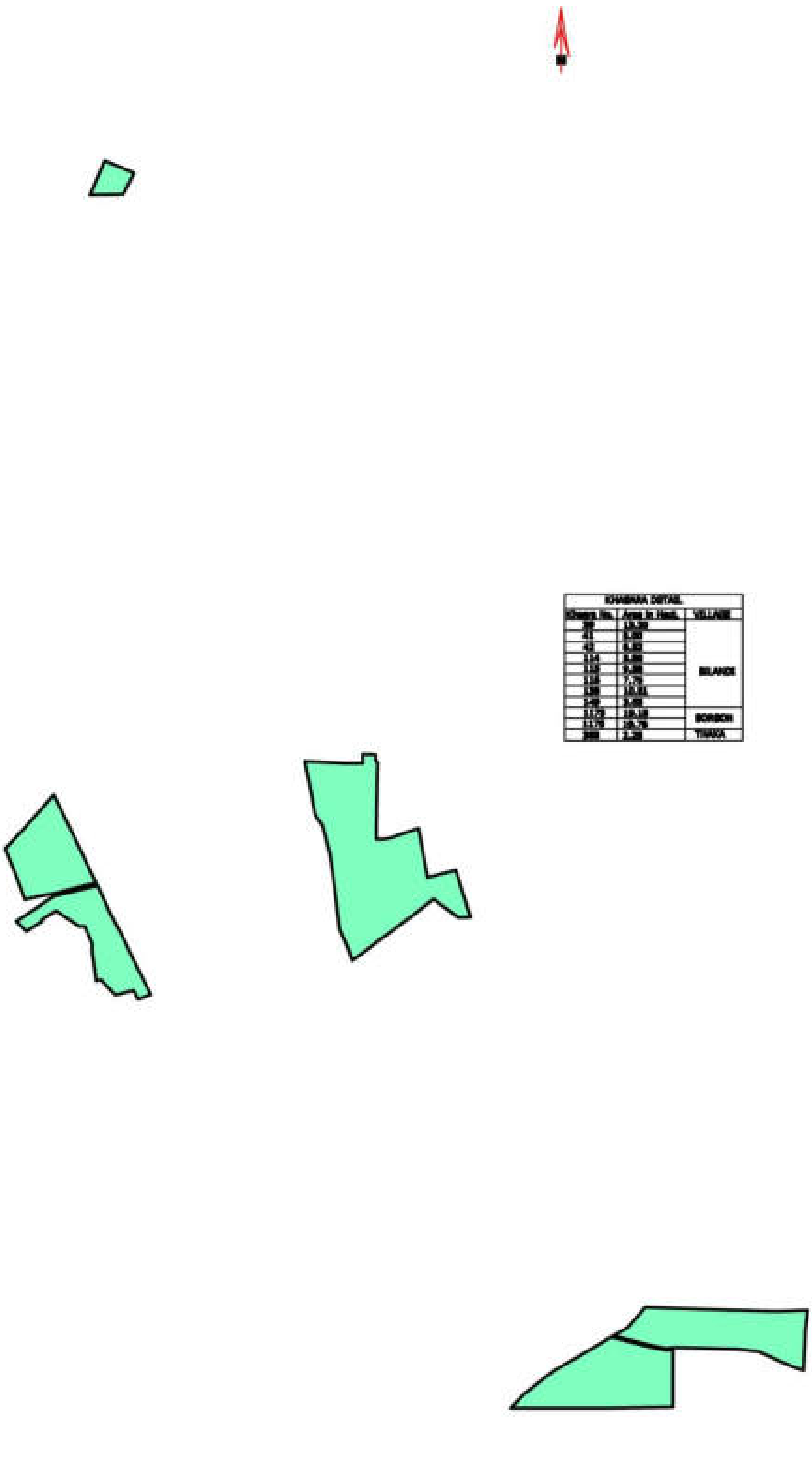

KHASARA DETAIL		
Khasra No.	Area in Hect.	VILLAGE
[illegible]	[illegible]	BILANDI
41	[illegible]	
42	[illegible]	
114	[illegible]	
115	[illegible]	
116	7.75	
138	[illegible]	
149	[illegible]	
1173	[illegible]	SORSON
1175	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	THAKA

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्त्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक : 23.07.2019

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि जलवाड़ा से किशनपुरा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी।

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

दिनांक : 23-07-2017

क्रमांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है। अतः सड़क के दोनों तरफ वक्षारोपण किया जाना सम्भव नही है।

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

(आर.के.सैनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ 2̶ ̶ ̶ 26   दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

– आदेश :–

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र कमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/5814–20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र कमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14–15/18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक/एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528–29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.–3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (है0)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.56	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			135	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 है0	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ 2̶ ̶ ̶ 26   दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ह।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
	Old Cases					
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
	New Cases					
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेडी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सडक	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेडा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	डिकोनिया से तलावडा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.-76 किमी. 573/0 से बुआ	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा	4.00	
12	Shahbad	~~Kishanganj~~ SBD	RIDF-XVII (RSAMB)	करबाथाना से बमनगवा	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाडा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडादा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(सुनिल माथुर)
अधीक्षण अभियंता
सा0नि0वि0 वृत बाँरा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम ताखा की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक (नरेन्द्र शर्मा (व.र.)

2 नाका प्रभारी 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉ

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी 6/9/17

2 कानूनगो 6-9-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

FCA letter 18-4-17

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम सोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक

2 नाका प्रभारी

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी — क्षेत्रीय वन अधिकारी अन्ता जि0 बारां

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 भू-अभिलेख निरीक्षक

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.60
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक (नरेन्द्र शर्मा (व.र.)

2 नाका प्रभारी किशन मीणा 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अन्ता जिला बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी उपरोक्त भूमि का हस्तान्तरण कराया जावे

6/9/17

2 कानूनगो
6-9-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

...म का नाम :- ताखा

पटवार हल्का :- मानपुरा

भू.अभि.नि. :- खजूरनाकला

तहसील :- अन्ता

जिला :- बाराँ

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 105

खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नाम:-

1. उपवन संरक्षक बारां वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00			
कुल खसरे - 1	2.2500		2.2500				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

का नाम :- सोरसन

पटवार हल्का :- सोरसन

भू.अभि.नि. :- सोरसन

तहसील :- अन्ता

जिला :- बाराँ

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 617

खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गैं.मु.जंगल 19.1500	0.00			
1175	19.7600	गैं.मु.जंगल 19.7600	0.00			
1176	2.0000	गै.मु.जंगल 2.0000	0.00			
1177	18.6600	गै.मु.बरड़ा 18.6600	0.00			
[illegible]527	26.0000	गैं.मु.जंगल 26.0000	0.00			
1528	32.8500	गैं.मु.जंगल 32.8500	0.00			
1529	31.5000	गैं.मु.जंगल 31.5000	0.00			
1530	17.6000	गैं.मु.जंगल 17.6000	0.00			
1531	21.0000	गैं.मु.जंगल 21.0000	0.00			
1532	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000	0.00			
1533	15.0000	गैं.मु.जंगल 15.0000	0.00			
1543	12.4900	गैं.मु.जंगल 12.4900	0.00			
1544	11.4500	गैं.मु.जंगल 11.4500	0.00			
1548	24.3600	गैं.मु.जंगल 24.3600	0.00			
1552	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000	0.00			
1781	15.2600	गैं.मु.जंगल 15.2600	0.00			
1784	6.3100	गैं.मु.जंगल 6.3100	0.00			
[illegible]85	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1786	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1787	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1788	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1789	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1790	13.3400	गैं.मु.जंगल 13.3400	0.00			
1791	6.0000	गैं.मु.जंगल 6.0000	0.00			
1795	12.0000	गैं.मु.जंगल 12.0000	0.00			
1796	11.1000	गैं.मु.जंगल 11.1000	0.00			
1796/1968	0.9000	गैं.मु.जंगल 0.9000	0.00			
1797	8.0000	गैं.मु.जंगल 8.0000	0.00			
1798	12.0000	गैं.मु.जंगल 12.0000	0.00			
1799	7.5600	गैं.मु.जंगल 7.5600	0.00			
2136/1524	20.0600	गैं.मु.जंगल 20.0600	0.00			

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
ध.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

	21.3800	गै.मु.जंगल	21.3800	0.00
6	16.0600	गै.मु.जंगल	16.0600	0.00
176	16.0600	गै.मु.बरड़ा	16.0600	0.00
खसरे - 34	502.8500		502.8500	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- बिलेण्डी

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

पटवार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 78

जिला :- बारॉं

खाता संख्या पुराना :- 78

काश्तकार का नाम:-

1. उप वन सरक्षंक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
114	5.8000	गै.मु.बरड़ा	5.8000	0.00			
115	9.5800	गै.मु.बरड़ा	9.5800	0.00			
116	7.7000	गै.मु.बरड़ा	7.7000	0.00			
138	10.8100	गै.मु.बरड़ा	10.8100	0.00			
49	3.6300	गै.मु.बरड़ा	3.6300	0.00			
39	13.2000	गै.मु.बरड़ा	13.2000	0.00			
41	5.0000	गै.मु.बरड़ा	5.0000	0.00			
42	6.5200	गै.मु.बरड़ा	6.5200	0.00			
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
जा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 232[illegible]340, 2324[illegible]47, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

दिनांक :- 23.08.2016

पत्र सं. 8बी/राज./06/04/2015/एफ.सी./254

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)

सिविल सचिवालय राजस्थान शासन जयपुर।

<u>ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/RJ/Road/6954/2014</u>

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक-एफ 14 (Baran Road)/2014/एफ.सी.ए./प्रमुवसं/1956, दिनांक 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक -09 फरवरी 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है।

प्रकरण में विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है-

1. वन भूमि वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये-3,82,284/- (2.96 हे.×Rs.1,29,150 हे.) कैम्पा, नई दिल्ली में जाम की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पक्ष संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये-18.52 लाख (2.96 **ha.xRs. 6.26 Lakh per ha.**) में जमा की जाएगी।

इसके उपरांत पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. /एन.एफ.टी (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। वह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, **Backward and Farward bearing** एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**NGT**) सैंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक -16.11.2015 में दिए गए आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता में अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा **Median** पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-**II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227** दिनांक - 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

...श प्रिन्टर्स, हॉस्पीटल रोड, बारां से मुद्रित व नंद भवन, मेन मार्केट, बारां से प्रकाशित। सम्पादक-कुश कुमार मिश्रा ...

s for life?

special courts to fast-track trial in these pending cases, the states of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal had set up just one special court each for such cases.

The amicus said one of the reasons for delay in trial was that the accused exerted money and muscle power to influence witnesses who turned hostile and suggested that the court direct authorities to strictly implement witness protection measures. Moreover, there are many cases where non-bailable arrest warrants issued by trial courts [illegible] sure presence of the accused [illegible] gislators are not executed.

Full report on www.toi.in

an now nations

For decades, the Sangat world- le to serve there. Modi govern- n to allow FCRA (licence) to the Sahib deepens the connect of he Sangat globally and the Sri A blessed moment!", he tweet-

Prime Minister Shri Narendra ed that Wahe Guru ji has taken . The decision on FCRA at the r Sahib is a pathbreaking

nistry [illegible] se said Sachkhand r Sahib, Sri Darbar Sahib, pplied for registration under 27, 2020. On Thursday, the deci- r it as an association of "reli- under FCRA, was communi- The registration shall remain ears, after which it can be re-

Health insurance scheme for J&K

Srinagar: The Jammu and Kashmir administration has launched a health insurance scheme for all residents of the Union Territory who are not covered by PM-JAY.

LT Governor Manoj Sinha said at a press conference here on Friday that the scheme will ensure a health cover of Rs 5 lakh per family to over 70 lakh people across the UT, who are not covered under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM-JAY).

"In all, 70 lakh people will be covered under the new health insurance scheme, irrespective of their income," he said.

The scheme will be launched on October 2 with the commencement of the 'Back of Village' programme. The scheme will cover 15 lakh families across the UT, and will be implemented through Bajaj Allianz Insurance Company for three years with an insurance premium of Rs 849 per family per year.

The scheme will have a portability option so that the intended beneficiaries can avail of cashless service from healthcare providers across the country. At present, there are 23,300 hospitals across India where the facility can be availed, including 218 public and private hospitals already empanelled in J&K. IANS

ge
arat, India
ww.metmedical.edu.in

ct of 3 months
bad Municipal Corporation Health/
T Medical College, Ahmedabad, for
lk in interview of following posts are

to be downloaded from the link

Sd/-
Dean
AMC MET Medical College

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/04/2015/एफ.सी./254 दिनांक : 23.08.2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर।

ऑनलाईन आवेदन संख्या – FP/RJ/Road/6954/2014

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एफ14 (Baran Road)/2014/ एफ.सी.ए./प्रमुवसं/1956, दिनांक 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक 09 फरवरी, 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित रुपये 3,82,284/- (2.96 हे. x रुपये 1,29,150 प्रति हे.) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये 18.52 लाख (2.96 हे. x रुपये 6.26 लाख प्रति हे.) जमा की जायेगी।

इसके उपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी., क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

5. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिम्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय
(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 1568 दिनांक : 10-03-2021

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– जनदप बांरन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020–21/9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2..96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,82,284/– (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2. 96 है0 X 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. बी.) की निर्धारित राशि रूपये– 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक

		23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. ल्लिरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27 / 2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त सख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। पति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद